**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 226**
**दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 06 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**देश में साइबर अपराध**

**226# डा. दिनेश शर्माः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में हुए विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की राज्य-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;**
**(ख) साइबर अपराधों की पहचान करने और उनका निवारण करने के लिए सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;**
**(ग) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से साइबर अपराधों नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों और उनमें प्राप्त की गई सफलताओं का ब्यौरा क्या है; और**
**(घ) वर्तमान में साइबर अपराधों की निगरानी के लिए प्रयुक्त पद्धतियों का ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री बंडी संजय कुमार)**

(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार एवं अपराध शीर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I एवं अनुलग्नक-II में दिया गया है।

**राज्य सभा अता.प्र.स. 226 दिनांक 27.11.2024**

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक, 9.94 लाख से अधिक शिकायतों में 3431 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साथ लेकर साइबर अपराध संक्रेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।

v. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 11,203 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

vi. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)"प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 98,698 से अधिक पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 75,591 से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

vii. राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य) की स्थापना हैदराबाद में की गई है। इस प्रयोगशाला की स्थापना से साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य के मामलों, साक्ष्य के संरक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसका विश्लेषण करने में आवश्यक फॉरेंसिक सहायता मिलती है और इससे टर्नअराउंड समय भी कम हुआ है।

viii. आई4सी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 7,330 अधिकारियों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।

ix. आई4सी ने 40,151 से अधिक एनसीसी कैडेटों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।

x. दिनांक 15.11.2024 तक, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 आईएमईआईएस को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

xi. केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है, जिसके तहत ऐसी फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की पहचान की जा सकेगी और उन्हें ब्लॉक किया जा सकेगा, जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित होता है और जो भारत से आती हुई प्रतीत होती हैं। हाल में फर्जी डिजिटल गिरफ्तारियां, फेडेक्स घोटाले, सरकारी और पुलिस अधिकारी के रूप में छद्मवेश धारण करने आदि के मामलों में साइबर अपराधियों द्वारा इस तरह की अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल की गई हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

xii. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) ने सम्पूर्ण भारतीय स्पेस मेटा डेटा की स्कैनिंग करते हुए स्थितिजन्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना की है ताकि पूरे भारतीय साइबर स्पेस में सभी संबंधित संस्थाओं को सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्रवाईयां करने में समर्थ बनाने हेतु लगभग रियल-टाइम सूचना का सृजन किया जा सके।

xiii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर अखबार में विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराधियों की अन्य कार्यप्रणालियों पर दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, डिजिटल गिरफ्तारी पर विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

*****

**अनुलग्नक-I**

**राज्य सभा प्र.सं. 226 दिनांक 27.11.2024**

**वर्ष 2018-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले**

| क्र.स. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1207 | 1886 | 1899 | 1875 | 2341 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 7 | 8 | 30 | 47 | 14 |
| 3 | असम | 2022 | 2231 | 3530 | 4846 | 1733 |
| 4 | बिहार | 374 | 1050 | 1512 | 1413 | 1621 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 139 | 175 | 297 | 352 | 439 |
| 6 | गोवा | 29 | 15 | 40 | 36 | 90 |
| 7 | गुजरात | 702 | 784 | 1283 | 1536 | 1417 |
| 8 | हरियाणा | 418 | 564 | 656 | 622 | 681 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 69 | 76 | 98 | 70 | 77 |
| 10 | झारखंड | 930 | 1095 | 1204 | 953 | 967 |
| 11 | कर्नाटक | 5839 | 12020 | 10741 | 8136 | 12556 |
| 12 | केरल | 340 | 307 | 426 | 626 | 773 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 740 | 602 | 699 | 589 | 826 |
| 14 | महाराष्ट्र | 3511 | 4967 | 5496 | 5562 | 8249 |
| 15 | मणिपुर | 29 | 4 | 79 | 67 | 18 |
| 16 | मेघालय | 74 | 89 | 142 | 107 | 75 |
| 17 | मिजोरम | 6 | 8 | 13 | 30 | 1 |
| 18 | नागालैंड | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 19 | ओडिशा | 843 | 1485 | 1931 | 2037 | 1983 |
| 20 | पंजाब | 239 | 243 | 378 | 551 | 697 |
| 21 | राजस्थान | 1104 | 1762 | 1354 | 1504 | 1833 |
| 22 | सिक्किम | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 23 | तमिलनाडु | 295 | 385 | 782 | 1076 | 2082 |
| 24 | तेलंगाना | 1205 | 2691 | 5024 | 10303 | 15297 |
| 25 | त्रिपुरा | 20 | 20 | 34 | 24 | 30 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 6280 | 11416 | 11097 | 8829 | 10117 |
| 27 | उत्तराखण्ड | 171 | 100 | 243 | 718 | 559 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 335 | 524 | 712 | 513 | 401 |
| | **कुल राज्य** | **26931** | **44511** | **49708** | **52430** | **64907** |
| 29 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 7 | 2 | 5 | 8 | 28 |
| 30 | चंडीगढ़ | 30 | 23 | 17 | 15 | 27 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव + | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 32 | दिल्ली | 189 | 115 | 168 | 356 | 685 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर* | 73 | 73 | 120 | 154 | 173 |
| 34 | लद्दाख | - | - | 1 | 5 | 3 |
| 35 | लक्षद्वीप | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 36 | पुदुचेरी | 14 | 4 | 10 | 0 | 64 |
| | **कुल संघ राज्य क्षेत्र** | **317** | **224** | **327** | **544** | **986** |
| | **कुल (अखिल भारत)** | **27248** | **44735** | **50035** | **52974** | **65893** |

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।

नोट: '+' वर्ष 2018,2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े,

'*' वर्ष 2018,2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े.

**अनुलग्नक-II**
**राज्य सभा अता. प्र.सं. 226 दिनांक 27.11.2024**

## वर्ष 2018-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर)

| क्र.सं. | अपराध शीर्ष | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ करना | 257 | 173 | 338 | 55 | 65 |
| 2 | कंप्यूटर से संबंधित अपराध | 14141 | 23734 | 21926 | 19915 | 23894 |
| 3 | साइबर आतंकवाद | 21 | 12 | 26 | 15 | 12 |
| 4 | इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण | 3076 | 4203 | 6308 | 6598 | 6896 |
| 5 | सूचना का अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 6 | सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुँच/पहुंचने का प्रयास | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | अपराध करने के लिए उकसाना | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | अपराध करने का प्रयास | 13 | 14 | 18 | 5 | 18 |
| 9 | आईटी अधिनियम की अन्य धाराएं | 980 | 2699 | 1017 | 827 | 1017 |
| **क** | **आईटी अधिनियम के तहत कुल अपराध** | **18495** | **30846** | **29643** | **27427** | **31908** |
| 10 | आत्महत्या के लिए उकसाना (ऑनलाइन) | 7 | 7 | 10 | 10 | 24 |
| 11 | महिलाओं / बच्चों की साइबर स्टॉकिंग / उन्हें डराना-धमकाना | 739 | 771 | 872 | 1176 | 1471 |
| 12 | डेटा की चोरी | 106 | 282 | 98 | 170 | 97 |
| 13 | धोखाधड़ी | 3353 | 6229 | 10395 | 14007 | 17470 |
| 14 | बेईमानी करना | 2051 | 3367 | 4480 | 6343 | 10509 |
| 15 | जालसाजी | 260 | 511 | 582 | 198 | 224 |
| 16 | डिफेमेशन/मॉर्फिंग | 18 | 19 | 51 | 31 | 61 |
| 17 | नकली प्रोफ़ाइल | 78 | 85 | 149 | 123 | 157 |
| 18 | जालसाजी | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 19 | साइबर ब्लैकमेलिंग/ धमकी | 223 | 362 | 303 | 689 | 696 |
| 20 | सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार | 97 | 188 | 578 | 179 | 230 |
| 21 | अन्य अपराध | 1713 | 1974 | 2674 | 2456 | 2857 |
| **ख** | **आईपीसी के तहत कुल अपराध** | **8647** | **13800** | **20201** | **25384** | **33798** |
| 22 | जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ) | 20 | 22 | 63 | 27 | 37 |
| 23 | लॉटरी अधिनियम (ऑनलाइन लॉटरी) | 2 | 9 | 26 | 4 | 6 |
| 24 | कॉपी राइट अधिनियम | 62 | 34 | 49 | 32 | 27 |
| 25 | ट्रेड मार्क अधिनियम | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 26 | अन्य एसएलएल अपराध | 22 | 23 | 48 | 99 | 103 |
| **ग** | **एसएलएल के तहत कुल अपराध** | **106** | **89** | **191** | **163** | **187** |
| | **कुल साइबर अपराध (क+ख+ग)** | **27248** | **44735** | **50035** | **52974** | **65893** |

स्रोत: क्राइम इन इंडिया